COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

C.F. Rs 10/-

(184)

न्यायालय माननीय राजस्वमण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००० विविध

गजानन्द राठौर पुत्र श्री घनश्याम राठौर
निवासी बड़ौदा रोड श्योपुर, तहसील
व जिला श्योपुर, म०प्र० --- प्रार्थी

विरुद्ध

१। श्री पी०एस०जाटव, अनुविभागीय अधिकारी
महोदय श्योपुर, तहसील व जिला श्योपुर म०प्र०

२। पदमादेवी मुख्त्यारआम श्री ओमप्रकाश
भिवाल

३। श्री ललितमोहन पुत्र श्री बृजमोहन

४। श्री मनोज पुत्र श्री ओमप्रकाश

५। महेन्द्र पुत्र श्री खेमराज सिंह
सभी निवासीगण बड़ौदा रोड श्योपुर,
तहसील व जिला श्योपुर, म०प्र०

६। श्री कृपाशंकर पुत्र श्री रवीशंकर
द्वारा मुख्त्यारआम श्री
रामेश्वर खंडेलवाल पुत्र श्री कल्याणचन्द्र
खण्डेलवाल, निवासी टोडीबाजार श्योपुर
तहसील व जिला श्योपुर, म०प्र०.
---- प्रतिप्रार्थीगण

विविध-1147-III/2000
श्री ... द्वारा आज दि० 3/7/2000 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
3 JUL 2000

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा १२ कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट एक्ट
के अधीन।

श्रीमान,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक विविध 1147–तीन/2000 जिला–श्योपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–9–16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर सुना गया । 2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक गजानन्द राठौर द्वारा कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 12 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल में आवेदन प्रस्तुत किया है । बहस के समय आवेदक के अभिभाषक ने कहा था कि अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुरकलां ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 26.06.2000 द्वारा राजस्व मण्डल के निगरानी प्र0क्र0 71–दो/97 में पारित आदेश दिनांक 27.06.97 की जानबुझकर अवहेलना की गई है । तहसीलदार, श्योपुर को भी विवादित भूमि के सीमांकन, बटांकन तथा नक्शे में तरमीम करने के आदेश देकर उन्हें भी राजस्व मण्डल के अन्तरिम आदेश दिनांक 27.06.97 की अवमानना करने के आदेश दिये गये है । उन्होंने प्रकरण कायम कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26.06.2000 का क्रियान्वयन स्थगित किये जाने का निवेदन किया है । 3/ राजस्व मण्डल के अभिलेख देखने से विदित होता है कि आवेदक गजानन्द आदि द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, ग्वालियर के निगरानी प्र0क्र0	

143 / 94–95 में पारित आदेश दिनांक 31.01.97 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी क्रमांक 71–दो / 97 प्रस्तुत किया गया, जिसमें राजस्व ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 27.06.97 द्वारा निगरानी विचारार्थ ग्राह्यकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश का क्रियान्वयन आगामी आदेश तक स्थगित किये जाने के आदेश दिया ।

4 / उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत विविध बलहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य